

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला

कोटा

प्रकरण संख्या : 156/2021

तारीख दायरा 29.12.2021

उनवान

लक्ष्मीबाई पत्नी स्व0 योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चोबियो का मौहल्ला सांगोद

तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :-

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार


—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादिनी के संयुक्त खाते व कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 595 के खसरा न0 1426 की 0.93 हैक्टर व खसरा न0 1427 की 0.10 हैक्टर कुल 2

ब्याणित प्रतिलिपि
1
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

किता की 1.03 हैक्टर आराजीयात स्थित है तथा माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 477 के खसरा न0 1412 की 1.00 हैक्टर व खसरा न0 1416 की 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम सांगोद के खाता स0 नई 477 की आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम मांगीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह अंकित है तथा खाता स0 नई 595 की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह है। उक्त दोनों नाम वादिनी के ही है तथा उक्त आराजी वादिनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादिनी का घर का बोलता नाम मांगीबाई है तथा वादिनी को परिवार के लोग व रिश्तेदार सभी मांगीबाई के नाम से ही पुकारते हैं जिसके कारण इन्तकाल न0 433 दिनांक 27.11.2007 को खोलते समय वादिनी के परिवारजन द्वारा घर का बोलता नाम मांगीबाई लिखवा दिया गया, जिसके कारण माल ग्राम सांगोद के खाता स0 नई 477 के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम मांगीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह दर्ज हो गया। इसी प्रकार वादिनी की अन्य आराजी खाता स0 नई 595 के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि के आधार पर वादिनी के प्रचलित नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह दर्ज हो रहा है। वादिनी का वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई होने की पुष्टि वादिनी के खाते की अन्य आराजी ग्राम सांगोद की खाता स0 नई 595 के राजस्व रेकार्ड व पहचान के दस्तावेजों से होती है। वादिनी को मांगीबाई व लक्ष्मीबाई दोनों ही नामों से जाना जाता है, उक्त दोनों नाम मुझ वादिनी के हैं तथा पहचान के दस्तावेज व अन्य रेकार्ड में वादिनी का वास्तविक व प्रचलित नाम लक्ष्मीबाई दर्ज होने से वादिनी को अपने हिस्से व खाते की आराजी का विकास कार्य करवाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पडता है और पहचान पत्र में भिन्न नाम होने से वादिनी को कृषि ऋण व



प्रमाणित प्रतिलिपि

१९७७ ६.४.२०१०. तानो

2

उपसचिव मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अनुदान सहायता राशि भी प्राप्त करने से वंचित रहना पड रहा है। वादिनी द्वारा अपने उक्त घर के बोलते नाम मांगीबाई के स्थान पर लक्ष्मीबाई दर्ज करने हेतु पटवारी हलका से निवेदन करने पर उनके द्वारा वादिनी के घर के नाम के स्थान पर प्रचलित नाम दर्ज करने से मना कर देने से वादिनी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त नाम दुरस्ती हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादिनी द्वारा अपना शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया गया व अन्य सहखातेदार के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दिनांक 12.03.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। तहसीलदार सांगोद द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। बहस वकील वादिनी सुनी जाकर पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेज, रेकार्ड, जमाबंदी, पटवारी रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन करने पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाने योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि -

माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 477 के खसरा न0 1412 की 1.00 हैक्टर व खसरा न0 1416 की 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादिनी के घर के बोलते नाम मांगीबाई के स्थान पर वादिनी के वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

प्रमाणित प्रतिनिधि

रखसरा मांगीबाई, सांगोद

3

जयलाल गजिरदेव
सांगोद (सांगोद)



10/12/2022

(अजना सहरोवत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजना सहरोवत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद





फर्द डिक्री मुकदमात इब्दादाई
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 156 / 2021

तारीख दायरा 29.12.2021

उनवान

लक्ष्मीबाई पत्नी स्व० योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चोबियो का मौहल्ला सांगोद
तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :-

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व
हाजरी श्री सुशील कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मिन जानिब मुददायल पेश
होकर आदेश दिया जाता है कि -

माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे
खाता स० नई 477 के खसरा न० 1412 की 1.00 हैक्टर व खसरा न० 1416 की 0.10

प्रमाणित प्रतिनिधि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

5

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

हेक्टर कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादिनी के घर के बोलते नाम मांगीबाई के स्थान पर वादिनी के वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक-२०२२/३८३

दिनांक-९/५/२२

तहसीलदार,
तहसील सांगोद।

विषय:- इजराय संख्या ५६/२०२२ उनवान लक्ष्मीबाई बनाम
राज्य सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० १५६/२१ उनवान लक्ष्मीबाई
बनाम राज्य सरकार के न्यायालय में दिनांक १२.३.२२ को
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक २५.६.२२ से पूर्व पालना करना
सुनिश्चित करें।

सलंगन-

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

अजन्ना सहस्रवत्
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

46/22

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 789

दिनांक- 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0.....156/2021
उनवान.....लक्ष्मीबाई/राज्यलरका.....में जारी डिक्री दिनांक
29/12/21..... की पालना में ग्राम.....सांगोद.....में नामान्तरकरण सं.....1727.....
दिनांक 20/7/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी
है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।



तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2076 - 2079

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 477

खाता संख्या पुराना :- 467

नाम :- सांगोद
हल्का :- सांगोद
प्र.ति. :- सांगोद
न :- सांगोद
:- कोटा

कार का नाम:-

राजसिंह पुत्र योगेन्द्रसिंह हिस्सा- 5/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.1222

पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.1222

योगेन्द्रसिंह पुत्र योगेन्द्रसिंह हिस्सा- 5/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.1222

लक्ष्मीबाई पत्नि स्व. योगेन्द्रसिंह हिस्सा- 1/9 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.1222,

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2	1.0000	चाही तृतीय	1.0000	22.00	स्वीकृत नामान्तरकरण : 1458 11/08/2020	रहननामा
6	0.1000	चाही तृतीय	0.1000	2.20	स्वीकृत नामान्तरकरण : 1727 20/07/2022	न्याया. आदेश
बसरे - 2	1.1000		1.1000	24.2000		

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

TC